भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या996

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

दंड न्याय व्यवस्था में न्यायिक विज्ञान को बढ़ावा दिया जाना

996. श्रीमती वंदना चव्हाणः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कितनी न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाएं चल रही हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उनके द्वारा नमूनों की जांच करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में औसतन कितना समय लिया जाता है; और
(ग) क्या सरकार देश में आपराधिक न्याय व्यवस्था में तेजी लाने हेतु और अधिक संख्या में न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने और विद्यमान प्रयोगशालाओं को सुधारने की इच्छा रखती है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): देश में सात केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। चण्डीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल, पुणे तथा गुवाहाटी में स्थित छह केन्द्रीयविधि-विज्ञान प्रयोगशालाएं (सी एफ एस एल) विधि-विज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एएस) के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त , सीबीआई की एक केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली में स्थित हैं। विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख)और(ग): किसी मामले की जांच करने का औसत समय मामले की प्रकृति के अध्यधीन मामला-दर-मामला भिन्न होता है। सरकार ने XIIवीं पंचवर्षीय योजना के तहत मौजूदा तथा नई सीएफएसएल में उन्नयन तथा नए प्रभागों के सृजन का प्रस्ताव किया है। विधि-विज्ञान सेवा निदेशालय की योजनागत स्कीम में उपकरणों के उन्नयन तथा पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति का प्रस्ताव भी किया गया है, जिसके अतिरिक्त, अंतराल कम करने संबंधी व्यवस्था के रुप में, सरकार ने नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक संविदा आधार पर रिक्त पदों को भरने का निर्णय किया है।

अनुलग्नक

राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 996

श्रीमती वंदना चव्हाण, संसद सदस्य द्वारादांडिक न्याय प्रणाली में विधि-विज्ञान को बढ़ावा देने के संबंध में पूछे गए दिनांक 04 मार्च, 2015 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 996 का अनुलग्नक

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान राज्य सुविधाएं	
	राज्य	मुख्य एफएसएल	आरएफएसएल (क्षेत्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाएं)
1	आन्ध्र प्रदेश	1	9
2	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य
3	असम	1	शून्य
4	बिहार	1	1
5	छत्तीसगढ़	1	2
6	गुजरात	1	5
7	गोवा	1	शून्यस
8	हरियाणा	1	2
9	हिमाचल प्रदेश	1	शून्यल
10	जम्मू और कश्मीर	1	1
11	झारखंड	1	शून्यड
12	कर्नाटक	1	4
13	केरल	1	2
14	मध्य प्रदेश	1	3
15	महाराष्ट्र	1	4
16	मणिपुर	1	शून्य
17	मेघालय	1	शून्य
18	मिजोरम	1	शून्य
19	नागालैंड	1	शून्य
20	ओडिशा	1	2
21	पंजाब	1	शून्यै
22	राजस्थान	1	3
23	सिक्किम	शून्यि	शून्यि
24	तमिलनाडु	1	9
25	त्रिपुरा	1	शून्यु
26	उत्तर प्रदेश	1	1
27	उत्तराखंड	1	शून्या
28	पश्चिम बंगाल	1	2
	संघ राज्य क्षेत्र		
29	अं. और नि. द्वीपसमूह	1	शून्य
30	चंडीगढ़	शून्यढ	शून्य
31	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य
32	दमण और दीव	शून्य	शून्य
33	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
34	एनसीटी दिल्ली	1	शून्य
35	पुदुचेरी	1	शून्य
	कुल	30	50